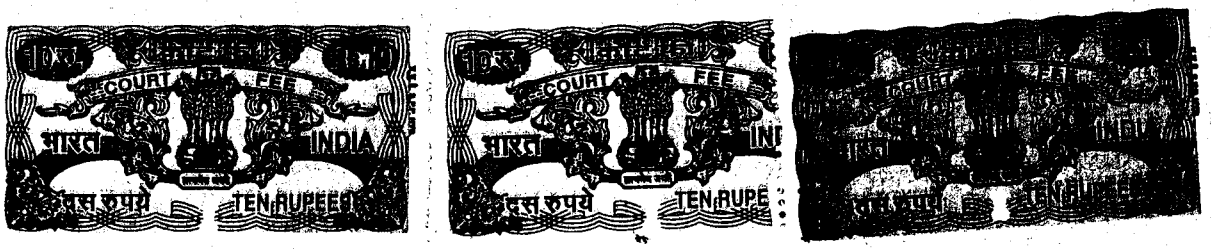

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क.   / 2017 निगरानी   R 1461-I-17

1. किशनलाल पुत्र नत्थू रजक
2. कुंजन पत्नि किशनलाल रजक
3. सुग्रीव पुत्र किशनलाल रजक
4. अरविन्द पुत्र किशनलाल रजक

निवासीगण ग्राम पौठयाई तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

.............आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 25-5-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. भारत सुमन पुत्र कुन्दनलाल निवासी ग्राम पौठयाई तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शासन

...............अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्र.क. 09/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1. यह कि, उक्त निगरानी को प्रभावित करने वाले

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1461–एक/17 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित तथा अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 9/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.5.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पौठयाई तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के सर्वे कमांक 605, 608, 611 एवं 624 के संबंध में अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण 3/अ–70/09–10 पर पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण में विधिवत कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अनावेदकगण द्वारा प्रकरण से संबंधित कोई सीमांकन कराया है। यदि कराया हे तो आवेदकगण को उक्त प्रकरण में कोई सूचना पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है। आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई है जो आदेश दिनांक 21.7.2015 संहिता की धारा 250 की परधि में नहीं आने के कारण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावैज के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 30.1.11 को आदेश पारित कर बेदखली काआदेश दिया गया था इसके पालन के लिये दिये आवेदन पर तहसीलदार द्वारा पुनः 21.7.15 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त कर दिया जबकि दूसरी बार पुनः आदेश पारित करने की आक्श्यकता ही नहीं थी इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.9.16 उचित होने से आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा स्थिर रखा हुआ है। अतएव आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 9/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 22.5.2017 उचति होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य